(वाद संख्या–3325/19)

06.11.2019

प्रस्तुत मामला परिवादनी/सूचक, चिन्ता देवी, पिता, बुधन, साकिन–परसौनी, थाना–साठी, जिला–पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के न्यायालय में दिये गये परिवाद–पत्र के आधार पर द0प्र0स0 की धारा–156 (3) के अन्तर्गत भा0द0स0 की धाराओं, 376/420/406/504 के अन्तर्गत संस्थित साठी थाना कांड सं0–162/18, दिनांक–06.10.2018 में आवेदिका डॉ0 नूसरत एजाज शेरखर, के पुत्र व प्राथमिकी के नामांकित अभियुक्त, जरार शेरखर, पुत्र एजाज शेरखर, सा0–11बी. साईकिल सोसाईटी गेट नं0–2, कॉटर पुणे, थाना–समार्थ, जिला–पुणे, महाराष्ट्र को गलत रूप से परिवादनी/सूचक, चिन्ता देवी के साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने तथा बाद में शादी करने से इन्कार करने के आरोप में बेतिया पुलिस द्वारा दिनांक–26.03. 2019 को पुणे (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार करने तथा दिनांक–26.03. 2019 से दिनांक–17.07.2019 तक अनावश्यक रूप से बेतिया में न्यायिक अभिरक्ष में कारा में संसीमित रहने से संबंधित है।

मामले से संबधित तथ्य निम्नलिखित हैः–

परिवादनी, चिन्ता देवी द्वारा दिनांक–26.09.2018 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के न्यायालय में आवेदिका के पुत्र, जरार शेरखर के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 376/420/406/504/ के अन्तर्गत एक परिवाद–पत्र सं0–1287सी./2018 दाखिल किया गया जिसे मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया द्वारा द0प्र0स0 की धारा, 156(3) के अन्तर्गत उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में कांड दर्ज कर अनुसंधान करने हेतु साठी थाना भेज दिया गया। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के आदेश के आलोक में साठी थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष, अवधेश कुमार सिंह द्वारा दिनांक–06.01.2018 को परिवाद–पत्र में उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत आवेदिका के पुत्र जरार शेरखर के विरूद्ध साठी थाना कांड सं0–162/18, दिनांक–06.10.2018 संस्थित कर मामले के

अनुसंधान हेतु साठी थाना के तत्कालीन अवर निरीक्षक, श्री विनोद कुमार सिंह को निर्देश दिया गया। उपरोक्त कांड के अन्वेषण के क्रम में कांड के अन्वेषणकर्त्ता, अवर निरीक्षक, विनोद कुमार सिंह तथा साठी थाना के एक सिपाही, कृष्णा कुमार द्वारा दिनांक–26.03.2019 को आवेदिका के पुत्र, जरार शेरखर को पुणे से गिरफ्तार कर बेतिया लाया गया तथा दिनांक–30.03.2019 को उसे न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। सत्र न्यायालय, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के आदेश के आलोक में आवेदिका के पुत्र को दिनांक–17.06.2019 को कारा से मुक्त किया गया।

यहां यह उल्लिखित करना प्रासंगिक है कि प्रसंगाधीन कांड का पर्यवेक्षण तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नरकटियागंज, श्री नेसार अहमद द्वारा किया गया तथा उन्होंने अपने पर्यवेक्षण टिप्पणी में आवेदिका के पुत्र (एकमात्र प्राथमिकी अभियुक्त) जरार शेरखर के विरूद्ध प्रसंगाधीन कांड में उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया। तद्नुसार प्रतिवेदन–2 निर्गत किया गया। तत्पश्चात् आवेदिका द्वारा अपने पुत्र के प्रसंगाधीन कांड में गलत अभियुक्तिकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को आवेदन दिया गया। उक्त आवेदन पर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया द्वारा घटना स्थल पर जाकर प्रसंगाधीन कांड की समीक्षा की गयी तथा उनके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि प्रस्तुत कांड के अनुसंधान व समीक्षा के क्रम में श्री निसार अहमद, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा आवेदिका के पुत्र के संलिप्तता के बिन्दु पर गंभीरता से जाँच नहीं किया गया और न ही कांड की पीड़िता की चिकित्सीय जाँच ही करवायी गयी। पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया द्वारा अपने प्रतिवेदन–3 में प्रसंगाधीन कांड में प्राथमिकी की मूल धाराओं के अन्तर्गत **असत्य कोटि** का पाया गया तथा उक्त प्रतिवेदन को अनुमोदनार्थ पुलिस उप–महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया को भेजा गया। पुलिस उप–महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त प्रसंगाधीन कांड को प्राथमिकी की मूल धाराओं के अन्तर्गत असत्य पाकर अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने

तथा न्यायिक अभिरक्षा में रह रहे आवेदिका के पुत्र, जरार शेरखर को मुक्त करने हेतु न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। उक्त के आलोक में थानाध्यक्ष, साठी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन सं0–36/2019, दिनांक–01.04.2019 असत्य समर्पित किया गया।

प्रसंगाधीन कांड का पुलिस महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर द्वारा समीक्षा की गयी तथा उन्होंने श्री **निसार अहमद, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा निजी लाभ एवं स्वार्थ के लिए अत्यधिक जल्दवाजी करते हुए द0प्र0स0 की धारा 164 के अन्तर्गत कांड के कथित पीड़िता के बयान कराये बिना तथा साक्ष्यों की समीक्षा किए बिना निर्णय लिया जाना पाया।** पुलिस महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर द्वारा भी **निसार अहमद, तत्कालिन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नरकटियागंज के विरूद्ध कर्त्तव्यहीनता एवं अवैध ढंग से एक निर्दोष लड़के को बलात्कार जैसे जघन्य मामले में समुचित साक्ष्य के बिना गिरफ्तार करने का दोषी पाया गया** तथा पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से श्री अहमद से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगकर प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही साथ पुलिस महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर द्वारा कांड के अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0, **विनोद कुमार सिंह तथा सिपाही 766 कृष्णा कुमार द्वारा निजी लाभ के लिए अत्यधिक जल्दबाजी करते हुए प्राथमिकी के नामांकित अभियुक्त (जरार शेरखर) को पुणे से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का दोषी पाया गया** तथा पु0अ0नि0, विनोद कुमार सिंह को निलंबित करने तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने तथा पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को सिपाही 766 कृष्णा कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया प्रस्तुत मामला एक नवयुवक (जन्म तिथि–09.12.1995) को साजिशपूर्वक फंसाने तथा अनावश्यक रूप दिनांक–26.03.2019 से दिनांक–17.06.2019

तक अभिरक्षा में रखा जाना प्रतीत होता है तथा ऐसा कृत्य सभ्य समाज व एक कल्याणकारी राष्ट्र के लिए पूर्णतः अस्वीकार्य है। इस अपराध के लिए दोषी पुलिस पदाधिकारियों–कर्मियों पर मात्र विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने से अल्पसंख्यक समुदाय के एक नवयुवक का पुलिस व्यवस्था से विश्वास खत्म हो जाना है।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि उक्त के संबंध में आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी थी तथा उन्हें इस निमित स्मारित भी किया गया लेकिन उनके द्वारा वांछित प्रतिवेदन आयोग को अब तक समर्पित नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से गृह सचिव, बिहार सरकार, पटना को अवगत कराते हुए उनसे अनुरोध है कि उक्त के संबंध में दोषी पुलिस पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध सरकार के स्तर से की गयी कार्रवाई तथा अल्पसंख्यक समुदाय के एक नवयुवक को अनावश्यक रूप से करीब तीन माह तक गलत अभियोग में कारा में रखने के कारण उसके मानवाधिकार के हनन पर उसे क्षतिपूर्ति दिये जाने के संबंध में दिनांक–20.02.2020 के पूर्व विस्तृत प्रतिवेदन (Action Taken Report) के साथ समर्पित करने हेतु उनसे अनुरोध किया जाय। उक्त पत्र के साथ आवेदिका के परिवाद–पत्र (सभी अनुलग्नकों के साथ) (पृ0–74–1/प0) की प्रति भी संलग्न कर दिया जाय तथा इस पत्र की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को भी दी जाय।

संचिका दिनांक–27.2.2020 को उपस्थापित किया जाय।

ह0/–
(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक